न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 379/18</u> निर्णय दिनांकः 09.04.2019

1. चौथाराम पुत्र आदूराम जाति कुम्हार निवासी नोखामण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 21—02—2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 21—02—2004 जिसके द्वारा अपीलांट् को आबादी भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र धोषित करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 21—02—2004 को चक 7 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 192/10 के किला नम्बर 1 ता 25 में 23 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन किया

गया तथा आवंटन पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया। उक्त आवंटित भूमि आबादी में स्थित होने के कारण अपीलांट को कब्जा प्राप्त नहीं सका। अपीलांट अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा अपीलांट को अन्यत्र भूमि की मांग के आधार पर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णि तथ्यों दोहाते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 7 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 192/10 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 23 बीघा 15 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट को कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2004 के विरूद्व अपील दिनांक 25—10—2018 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। राजकीय अभिभाषक द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 21—02—2004 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि आबादी हेतु आरिक्षत भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2004 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25—10—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 7 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 192/10 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 23 बीघा 15 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट को वादगत् भूमि का कब्जा प्रदान नही किया गया।

प्रकरण में वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि थी तथा अपीलांट का आवंटन आदेश प्रभाव में था तो ऐसी स्थिति में आबादी विस्तार/आवंटन के प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किये गये। इस

संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली पर कोई विस्तृत आदेश अथवा कार्यवाही का अंकन नहीं है। केवल मात्र उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 3 के पत्र कमांक 1025 दिनांक 16—06—2004 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कि आवंटित भूमि आबादी हेतु अवाप्त कर ली गई है। अतः उक्त आवंटित भूमि निरस्त की जाती है। अदालत मातहत को चाहिए था कि तत्सयम ही अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटित की जाती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त कर दिया गया परन्तु अपीलांट को अन्यत्र भूमि का आवंटन नहीं किया गया।

जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से कार्य के प्रति उदासीनता/लापरवाही का प्रतीक है। अदालत मातहत द्वारा की गई गलती अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु बार—बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अन्यत्र आवंटन हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट को अन्य भूमि का आवंटन किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि आबादी हेतु अवाप्त कर ली गई है लिहाजा अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवंटन अधिकारी पूर्व में किये गये आवंटन को विधिक प्रक्रिया के तहत निरस्त करें तथा समान श्रेणी में किये जाने आवंटनों के आवेदकों की सूची में अपीलांट को शामिल कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अन्यत्र भूमि का आवंटन किया जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर